

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

File No.:ESTB-1/774/2025/SW

अटल नगर, दिनांक 27-05-2025

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण संचालनालय,
माना कैम्प, रायपुर (छ.ग)

विषय :- गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्ति-
सलेक्ट लिस्ट 2024 ।

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/ई-1-04/2025/एक/2, दिनांक 19-05-2025 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

आदेशानुसार कृपया प्रकरण में उल्लेखित जानकारी सहित प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार.

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग



रजत कुमार
सचिव

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
पंजी क्रमांक...1027...
दिनांक...20 MAY 2025...20

क्रमांक ई-1-04/2025/एक/2

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक: 19 MAY 2025

विषय :- गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्ति- सलेक्ट लिस्ट 2024

—0—

भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. 14015/05/2025-AIS.I(S.II&III), दिनांक 01.05.2025 के द्वारा सलेक्ट लिस्ट 2024 (दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक उद्भूत हुई रिक्तियों) के लिए छ.ग. राज्य संवर्ग के गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्ति हेतु 02 रिक्ति निर्धारित की गई है।

2. उक्त 02 रिक्ति की पूर्ति हेतु उपयुक्त गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग/चयन समिति को विचारार्थ अनुशंसा किया जाना है। IAS (Appointment by Selection) Regulations, 1997 में इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित हैं:-

- (1) अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता एवं क्षमता (Outstanding merit and ability) रखते हो,
- (2) राजपत्रित पद पर स्थाई हो,
- (3) 01.01.2024 की स्थिति में डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष पद पर, लगातार, कम से कम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो,
- (4) 01.01.2024 को आयु 56 वर्ष से कम हो।

3. उप जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष पद घोषित करने के संबंध में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.05.2013 जारी की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। साथ ही प्रस्तावित अधिकारी के पद को विभाग स्वयं राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित कर, आदेश की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजें। आदेश का प्रारूप संलग्न है।

निरंतर...

SV
VU 20/05/25

आंक / उक्त क्रमांक 96/
मंत्रालय / सामान्य प्रशासन विभाग
दिनांक 19/05/2025

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य शासन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाले अधिकारियों के नाम पर ही विचार करेगा:—

- (1) बिना शर्त, भा.प्र.से. में नियुक्ति के इच्छुक हों,
- (2) विभागीय तथा आपराधिक कार्रवाई के किसी मामले में कभी दंडित न हुये हों,
- (3) अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक प्रकरण लंबित अथवा प्रस्तावित न हो, तथा विजिलेंस की दृष्टि से कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य (यथा लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच लंबित न होना) ना हो,
- (4) गोपनीय चरित्रावली 31.03.2024 तक पूर्ण हो,
- (5) गोपनीय चरित्रावली में कोई प्रतिकूल टीका अंकित न हो तथा अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता एवं क्षमता (Outstanding merit and ability) रखते हों,
- (6) विभाग संनिष्ठा प्रमाणित करें।

5. यदि आपका विभाग उपरोक्त कंडिका 2, 3 या 4 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने वाले अधिकारियों के नाम विचारार्थ भेजना चाहें, तो तत्संबंधी प्रस्ताव, विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन उपरांत, संलग्न प्रपत्र में, मूल गोपनीय चरित्रावली फोल्डर सहित अर्द्धशासकीय पत्र के साथ, कृपया इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 06.06.2025 तक अवश्य प्राप्त हो जाये। उक्त तिथि के बाद इस विभाग को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा। साथ ही 02 रिक्ति की पूर्ति हेतु प्रस्तावित अधिकारियों की संख्या कृपया अधिकतम 04 तक सीमित रखी जाये।

6. कृपया सुनिश्चित करें कि संलग्न प्रपत्र में दी जाने वाली जानकारी एवं प्रमाण पत्र स्वयं विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अभिप्रमाणित हो।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रजत कुमार)

प्रति,

श्री/श्रीमतीशुभेश साहू.....

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग,

मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

No. 14015/05/2025-AIS.I(S.II&III)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi

Dated 01.05.2025

To

The Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Raipur - 492001

Subject: Appointment by Promotion/Selection to the IAS of Chhattisgarh Cadre
for the Select List of 2024 - Vacancy determination - reg.

Sir,

I am directed to refer to Government of Chhattisgarh's letter No. S-1-03/2025/रक-2 dated 23.04.2025 and email dated 25.04.2025 on the subject cited above and to say that in terms of the provisions contained in Rule 4(2)(b) of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 5(1) of the IAS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, it has been decided that recruitment by promotion to Chhattisgarh cadre of IAS from among members of the State Civil Service of Chhattisgarh from the Select List of 2024 (vacancies arisen between 01.01.2024 to 31.12.2024) may be made up to 09 (nine) posts.

2. It has further been decided that in terms of the provisions contained in Regulation 6 of the IAS (Appointment by Selection) Regulations, 1997 read with the relevant provisions in the Recruitment Rules, that the number of posts up to which recruitment may be made by selection to the Chhattisgarh cadre of IAS for the Select List of 2024 (vacancies arisen between 01.01.2024 to 31.12.2024) from Chhattisgarh cadre of IAS may be made up to 02 posts.

3. It is requested that further action in terms of the provisions contained in the statutory Promotion/Selection Regulations may kindly be taken under intimation to the Government of India.

Yours faithfully,

Sanjay Kumar Chaurasia
Dept. of Personnel & Training
Under Secretary to Government
Receipt & Issue Section

02 MAY 2025

Under Secretary to the Government of India

Tel. No: 011-23093063

Email: uss1@nic.in

Copy to:

गरी विभाग

The Secretary, Union Public Service Commission, Dhoolpur House, New Delhi - 110069.

Bio-Data of Non SCS Officers

1. Name of officer:
 2. Date of birth:
 3. Education qualification:
 4. Whether belongs to SC/ST/OBC:
 5. Date of confirmation (in Gazetted posts):
 6. Present post held:
 7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Deputy Collector in the State Civil Service:
 (ii) Name of the post:
 (iii) Whether holding that post substantively and the date since when
 8. Details of Gazetted posts held:-
- | Sr. No. | Name of the post held | Category of Posts | Period | Scale of pay | Duties (in brief) |
|---------|-----------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| | | | | | |
9. Achievements in brief (including publications if any)
 10. Training undergone.

(A) Details of disciplinary proceedings pending against eligible officers.

Sr. No.	Name of the officers (S./Shri)	Date of issue of charge sheet to the officers	Brief facts and nature of charges	Present status

(B) Details of criminal proceedings pending against eligible officers.

Sr. No.	Name of the officers (S./Shri)	Date of filing of charge sheet before the Court	Brief facts and nature of charge	Present status

Note: The proceedings are deemed to be pending only if a charge sheet has already been served upon the officer/filled in a Court of Law as laid down in the Promotion Regulations: [Explanation under Proviso to reg. 5 (5)].

Details of penalties imposed on eligible officers during the last 10 years

Annexure - 4.2 (Non-SCS)

Sr. No.	Name of officer (s) (S/Shr)	Year in which offence is committed	Date of issue of charge sheet	Date on penalty imposed	Nature of penalty	Period of currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay/stay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Format for Integrity Certificate*

- A. Format for certifying the Integrity Certificate

Dated:

INTEGRITY CERTIFICATE

The State Government certifies the integrity of following officers with reference to the entries in his/their Annual Confidential Reports :-

S. No. Names(S/Shri)

ACS/PS/Secretary to the Government

- B. Format for withholding the Integrity Certificate

Dated:

INTEGRITY CERTIFICATE

The State Government withholds the integrity of following officer(s) for the reasons indicated against each :-

S. No.	Names(S/Shri)	Reasons(in brief) for withholding the integrity certificate

ACS/PS/Secretary to the Government

***Note:** Please refer to Gol's instructions No. 14/23/65-AIS(III) dated 28.07.1966, No. 17/3/70-AIS(III) dated 26.05.1970, No. 14015/18/99-AIS, dated 27.10.1999 & F.14015/18/99-AIS(I) dated 27.10.2001

Certificates regarding communication of adverse remarks in respect of eligible officers*

- (i) Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Government to the officers concerned.

Sr. No.	Names (S/Shri)	Period

- (ii) Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sr. No.	Names (S/Shri)	Period

- (iii) Representation against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sr. No.	Names (S/Shri)	Period

*Note:- All India Service Manual Part-II Edition (GOI instructions-8-page 58) may be referred.

Annexure - 7 (Non-SCS)

7

@ Valid reasons as per DOP letter No. F14015/7/88-AIS (1) dated 22.7.1988.

- * The State Government is required to furnish the complete ACR dossier of the officer. The ACRs for preceding five years may be duly flagged. If some ACRs are not written and NRC added, preceding ACRs may be flagged and details furnished as above.
- * No photocopy of ACR is accepted. In exceptional circumstances, if a photocopy is furnished, it should be duly attested and reasons for not sending the original ACR may be indicated.
- * The ACRs furnished to the Commission should be minutely scrutinized and furnished to the Commission after rectifying the deficiencies.
- * The validity of the ACRs furnished to the Commission may be checked by the State Government in terms of the ACR rules of the State Government, if any. The validity of the UN Report/Special Reports etc, if any, as per ACR Rules of State Government may be indicated clearly.

()

Name _____

Designation _____

A statement showing court cases and court orders having bearing on the select list

[illegible]

Certificate regarding eligible Non-SCS Officers (*)

Certified that all the officers recommended by the State Government are of outstanding merit and ability, holding gazetted post in a substantive capacity and have completed not less than 8 years of continuous service under the State Government on the first day of January of the Select List Year in a post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service.

(Signature)

- (*) Notes: 1. A copy of the order issued by the State Government declaring the posts in the Non-State Civil Service equivalent to the post of Dy. Collector is to be invariably enclosed.
2. While declaring posts to be equivalent, the State Govt. may kindly take into consideration the clarifications issued by the GOI/DOP&T to Govt. of Kerala on the matter vide letter No.F.14015/30/2001-AIS(I) dated 30.5.2001 as extracted below:-

Irrespective of the scale of pay of the post in the Non-SCS, being the same or above the scale of post of the Dy. Collector, unless it is accompanied with a declaration of the State Government as to its equivalence as of duties and importance to that of Dy. Collector in the State Civil Service, such proposal will not be in conformity with the relevant provisions in this regard?

(13)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
सत्रालय
महानदी बवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 03.05.2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-01-02/2011/1-3 :: भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रावधानों के तहत, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु गैर राज्य सिविल सेवा के पदों को राज्य सिविल सेवा के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रयोजन हेतु शासन के समस्त विभागों के गैर राज्य सिविल सेवा के ऐसे पदों को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करता है, जो -

- (i) सीधी भर्ती के उप-जिलाध्यक्ष के पद के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया अनुसार मूल पद पर पदस्थ हो;
- (ii) उसी ग्रेड पे के हो जो उप-जिलाध्यक्ष के पद से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन की अर्हता के लिये निर्धारित है तथा
- (iii) उसी उम्र एवं अनुभव के हो जो उप-जिलाध्यक्ष की भाँसे में चयन के लिये अर्हता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सनाज कुमार मिश्रा)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-01-02/2011/1-3

नया रायपुर, दिनांक 03.05.2013

1. शासन के समस्त विभाग,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रायपुर
3. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजमवन, रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर
6. मुख्य सचिव के अवर सचिव, रायपुर
7. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छ.ग.
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।

(सनाज कुमार मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मई 2013—वैशाख 18, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-01-02/2011/1-3.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रावधानों के तहत, गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु गैर राज्य सिविल सेवा के पदों को राज्य सिविल सेवा के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रयोजन हेतु शासन के समस्त विभागों के गैर राज्य सिविल सेवा के ऐसे पदों को राज्य सिविल सेवा के उप-जिलाध्यक्ष के पद के समकक्ष घोषित करता है, जो :—

- (i) सीधी भर्ती के उप-जिलाध्यक्ष के पद के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया अनुसार मूल पद पर पदस्थ हों;
- (ii) उसी ग्रेड पे के हों जो उप-जिलाध्यक्ष के पद से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन की अर्हता के लिये निर्धारित है तथा
- (iii) उसी उम्र एवं अनुभव के हों जो उप-जिलाध्यक्ष की भा.प्र.से. में चयन के लिये अर्हता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.